



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कॅम्प भोपाल म.प

31  
I/क्रि.जी/विदिशा/भू.रा/2018/0460

राजीव आयु 12 वर्ष ना.बा. पुत्र रतन लाल जाति काछी पटेल

सरपरस्ती (सरंक्षक) द्वारा प्रान सिंह आयु 55 वर्ष, 9926965849

पुत्र पूरन सिंह काछी निवासी ग्राम धुवा

तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र. ————— पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती रामवती बाई आयु 41 वर्ष पत्नि स्व. राजाराम

जाति काछी निवासी ग्राम धुवा तहसील कुरवाई,

जिला विदिशा म.प्र. हाल निवासी— ग्राम पुरा पो. करोंदा

तहसील व थाना बीना जिला सागर म.प्र. ————— उत्तरदाता

अभिभातक श्री. सी. चट्टेल  
द्वारा आज दिनांक 06/01/2018  
को पेश।  
अधीक्षक

पुनरीक्षण क...../2017-18

प्रस्तुत दिनांक 06.01.2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50, म.प्र. भू. रां संहिता 1959

यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 343/अ/2016-17 पक्षकार राजीव विरुद्ध श्रीमती रामवती बाई में धारा 52 के स्थगन आवेदन को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 16.10.2017 से परिवेदित होकर प्रकरण के निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

ab

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.सं./R.O.P.60/18/1/2/जिला/विदिवा/...

5

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-19	<p>आवेदन मिन. श्री पी. सी. परेल 8फा। संबंधित प्र. सं. 2-3043/18/विदिवा। प्रत्य. के साथ प्रेषण है।</p> <p>प्रकरण कायमी पर तर्क है।</p> <p>CF-23-07-19</p> <p>मंसि</p>	<p>मंसि</p> <p>27/8</p> <p>23/7</p>
23-7-19	<p>आवेदन मिन. श्री पी. सी. परेल 3फा। संबंधित प्र. सं. 2-3043/2018/विदिवा। प्र. सं. के साथ प्रेषण है।</p> <p>प्रकरण कायमी पर तर्क है।</p> <p>CF-27-8-19</p> <p>मंसि</p>	<p>मंसि</p>
27-8-19	<p>आवेदन की ओर से कोई उत्तर नहीं। आवेदन व उसके आक्रोश को समग्र-समग्र पर तीन बार पुकार लगाई गई। फिर भी कोई उत्तर नहीं। अतः प्रकरण आवेदन की अनुपस्थिति के कारण अग्रम पेशी के रकार्ड के माफ़ हो रहा है।</p>	<p>मंसि</p>